अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी (धनबाद)

वाद संख्या 401 /2016–17

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
7/8/2020	अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज जो मौजा **बलारडीह** थाना सं0–**284** के गत सर्वे खाता **28** खेसरा–**675** अंश रकबा –**1.00 ए0** से संम्बन्धित है एवं गैर आबाद खाते की भूमि है, को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक– 19/8/2020 को उपस्थापित करें। 7/8/2020 **अंचल अधिकारी** **पूर्वी टुण्डी।**	
19/8/2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेख में सुचीबद्ध है। जमाबंदीदर रैयत/उनके वंशज द्वारा पुर्व में निर्गत नोटिस के आलोक मे एक आवेदन–पत्र के साथ क्षतिपुर्ति केश सं0–1361/1955–56 की छायाप्रति के साथ पुर्व में निर्गत एक लगान रसीद का छायाप्रति जो दिनांक 0.3.81 को निर्गत है दाखिल किया गया था, जमाबन्दी धारक के वंशज द्वारा एक लगान रसीद के अलावा अन्य कोई लगान रसीद दाखिल नही किया गया है। दावा के समर्थन में अन्य कोई निबन्धित दस्तावेज,M फार्म समर्पित नही किया गया है। अंचल निरीक्षक से राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित चेक–लिस्ट का गहनतापूर्वक जॉच कर स्पष्ट मन्तव्य की मॉग करे। अभिलेख दिनांक– 15/12/2020 को उपस्थापित करें। 19/8/2020 **अंचल अधिकारी** **पूर्वी टुण्डी।**	
15/12/2020 28/1/2021	अभिलेख उपस्थापित। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.7.20 एवं विभागीय संकल्प सं0–6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबन्दी रद्ध करने से संबन्धित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा– **बलारडीह** थाना सं0–284 के खाता–**28 के** खेसरा–**675** **रकबा–1.00ए0** भूमि की कायम जमाबन्दी सं0–**147** संदिग्ध प्रतीत होती है। पंजी– 2 के अवलोकन से प्राधिकार के परिवर्तन कालम में कोई भी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नही है। उक्त गैर आबाद	

खाते की भूमि का दिनांक 1.1.1946 से पुर्व का निबन्धित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड़) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–(4H) के तहत् जमाबन्दी पंजी–2 में कायम जमाबन्दी सं0–**147** को रद्ध करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

28/1/2021

अंचल अधिकारी,
पूर्वी टुण्डी।

28/1/2021

अंचल अधिकारी,
पूर्वी टुण्डी।